

प्रेस नोट

22.02.2021

चोरी की टैम्पो व अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार—

आज दिनांक 22.02.2021 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बालनिकेतन तिराहे के पास से अतुल कुमार उर्फ अजय उर्फ योगा पुत्र भोला निवासी अल्देमऊ थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से एक चोरी की टैम्पो यूपी 54 एटी 3626 व एक अवैध तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

उक्त टैम्पो चोरी की सूचना दिनांक 21.02.2021 को वादी राजकुमार निवासी बढुआ गोदाम थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा थाना सरायलखंसी को पर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/21 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था

उक्त बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. अतुल कुमार उर्फ अजय उर्फ योगा पुत्र भोला निवासी अल्देमऊ थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

बरामदगी—

1. एक चोरी की टैम्पो यूपी 54 एटी 3626।
2. एक अदद अवैध तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 22.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा धर्मदेव, छांगुर, मुसाफिर निवासीगण उसरी बुजुर्ग थाना दोहरीघाट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मदन सोनकर, देवेन्द्र, उमेश निवासीगण अस्तोपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा शशि भूषण निवासी नूरपुर थाना चिरैयाकोट, विनोद यादव निवासी जमुआरी थाना मरदह जनपद गाजीपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा मून्ना लाल, जयप्रकाश शिवयादव निवासीगण खानपुर थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा रविन्द्र यादव निवासी दतौड़ा थाना हलधरपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रधुनन्दन, हरिश्चन्द्र निवासीगण कोटिया थाना मुहम्मदाबाद, सोनू राजभर निवासी बलुआ पोखरा थाना घोसी, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सोनू कुमार, हीरा लाल निवासीगण सलाहाबाद, रामचन्द्र राम निवासी कन्धेरी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।